भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर
Project Implementation Unit, Jaipur
डी–148, आर. एस.ई.बी. सब–स्टेशन के पीछे, वैशाली नगर, जयपुर–302021
D-148, Behind RSEB Sub-Satation, Vaishali Nagar, Jaipur-302021

दूरभाष / Phone : 91-141 - 2351427
फैक्स / Fax : 91-141 - 4026465
ई-मेल / E-mail : jai@nhai.org

Ref.:-NHAI/JPR/Forest/STP/2021/819

Date : 02.12.2021

Deputy Conservator of Forest
Forest Division,
Alwar (Rajasthan)

Subject: Compliance Report of EDS Letter regarding Forest diversion Proposal No. FP/RJ/ROAD/41266/2019.

Ref: EDS Letter No. एफ18(63)एफसीए/उवसं–अल./2021/6673 दिनांक 20.09.2021

Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, we have received the EDS vide above cited regarding Forest Diversion Proposal for **"Construction of Toll Plaza Between Km 115.00 to Km 116.00 at Delhi - Jaipur Section of NH-8, District-Alwar, Rajasthan".**

We have incorporated the EDS and uploaded the required document on **MoEF&CC** Web portal for your reference and further processing please.

Point Wise Compliance Report:

Sr No.	EDS raised by Forest Department	Reply by User Agency
1.	उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन.एच. 8 पर चैनेज km. 115.00 to km. 116 के बीच टॉल प्लाजा निर्माण हेतु एन.एच. 8 के ROW में घोषित रक्षित वन भूमि पर इस वनमण्डल अधीन 2.852 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव में उच्च कार्यालय से ऑनलाईन EDS There is violation in the proposal, so what action was taken against the concerned officers. के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 5653 दिनांक 11.08.2021 से वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए NHAI के दोषी अधिकारी, विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई थी। जिसके प्रत्युत्तर आपके पत्रांक 1055 दिनांक 23.	अवगत करवाना है कि उक्त प्रस्ताव में मौके पर टोलप्लाजा का निर्माण कार्य NHAI की भूमि पर ही किया गया था एवं टोल प्लाजा का कार्य सम्पुर्ण होने के उपरान्त यह संज्ञान में आया की उक्त क्षेत्र रक्षित हरितपट्टी क्षेत्र में आता है तथा उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व राजस्व रिकोर्ड का भी परिक्षण किया गया था जिसमें उक्त क्षेत्र NHAI के नाम दर्ज था अतः वन भूमि नोटीफीकेशन की जानकारी के अभाव में उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था अतः वन भूमि प्रभावित होने की जानकारी होते ही तुरन्त प्रभाव से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 2.852 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित किये गये थे एवं वन प्रर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव में सेद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्र क्रमांक 8 बी/राज0/06/13/2009/एफ.सी./677 दिनांक 08.09.

	08.2021 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के साथ आप द्वारा संलग्न पत्र क्रमांक 281 दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु 3 में आप द्वारा यह स्वीकार किया है कि टोल प्लाजा का निर्माण में वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया है। इसलिए आप द्वारा वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उल्लंघन को स्वीकार करने के बावजूद आपने दोषी अधिकारी के विरूद्ध की कार्यवाही से अवगत नही कराया है । तहत किये गये अतः उक्त प्रस्ताव में प्राप्त ऑनलाईन EDS के बिन्दु 1 की पूर्ती करते हुए इस कार्यालय को भिजवायें ताकि प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भेजा जा सके। अतः आप वन संरक्षण, अधिनियम, 1980 के उललंघन के विरूद्ध की कार्यवाही से शीघ्र अवगत करावें ताकि प्रकरण को उच्च कार्यालय भिजवाया जाना संभव हो सके।	2009 को जारी की गई थी (प्रतिलिपी संलग्न) परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर का कार्यालय पता बदलने के कारण उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना नही कर पाये जिसके कारण वन प्रर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, लखनऊ द्वारा उक्त स्वीकृति को खारीज कर दिया गया था एवं उक्त स्वीकृती हेतु ऑनलाईन माध्यम से पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने के लिये निर्देशीत किया गया है। अतः इस बिन्दु के क्रम में निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में प्रथम दृष्ट्रीया किसी भी अधिकारी का दोष नही है क्योकी उक्त कार्य राजस्व रिकोर्ड के अनुसार ही किया गया था एवं रक्षितपट्टी नोटीफिकेशन की जानकारी के अभाव में सहवन से प्रारम्भ कर दिया गया था जिसके लिये प्रयोक्ता अभिकरण को खेद है एवं महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव में वाछित स्वीकृती दिलवाने का कष्ट करें।

(Ajay Arya)
Project Director